

दूरभाष : 0135-2747051-58
Telephone : 0135-2747051-58
फैक्स / Fax : 0135-2741250
ई-मेल/E-mail
For Adm - dmadc soi@nic.in
For Estate - estate.madc soi@gov.in



निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र
DIRECTOR,
MAP ARCHIVE & DISSEMINATION CENTRE
डाक बक्स सं०, POST BOX No.37,
हाथीबड़कला, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत
DEHRADUN-248001(Uttarakhand)-INDIA

इस पत्र का उत्तर निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र को पत्रों के भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं, उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या और दिनांक भी हमेशा दी जानी चाहिए
Any reply to this letter should be addressed to the Director, Map Archive & Dissemination Centre, and not to any officer by Name. The No. & Date of this letter should be quoted

सं० सम्पदा- 2553 / 13-के-ए (Vol.22)

दिनांक: 21-12-2022

अधिसूचना

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सरकारी आवासों के आवंटन नियम 2010 के अ०नि० 317-ए०एच० 2/ ख एवं ग के अन्तर्गत हाथीबड़कला एस्टेट के सरकारी आवासों का आवंटन, वर्ष 2023 के लिए दिनांक 01-01-2023 से 31-12-2023 तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया जाता है।

उपरोक्त में आवासों के सभी उपलब्ध टाइप (II से V) के आवंटन के लिए आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे, जिसके संबंध में यदि आवंटन आवेदन खाली आवासों की संख्या से अधिक प्राप्त होते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत वरिष्ठता प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने आवंटन वर्ष 2022 में आवासों के लिए आवेदन किया था, उनकी प्रतीक्षा सूची/आवंटन आवेदन दिनांक 31-12-2022 को निरस्त कर दी जाएगी, यदि वे पुनः आवास लेने के इच्छुक हैं, तो उन्हें नये आवंटन वर्ष 2023 के लिए फिर से निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन देना होगा। परिवर्तन प्रतीक्षा सूची यथावत रहेगी।

आवंटन वर्ष 2023 के लिए आवेदनों को नियमों के अंतर्गत, आवश्यक नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसके आधार वर्ष 2023 में आवासों का आवंटन होगा। प्रतीक्षा सूची वरिष्ठता के आधार पर केवल 15-01-2023 तक प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए ही बनायी जायेगी। दिनांक 15-01-2023 के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र, कार्यालय में प्राप्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर वरिष्ठता दी जाएगी। टाइप-I के आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण, इस टाइप के पात्र विभागीय कर्मचारी सशर्त आधार पर टाइप-II आवासों के लिये आवेदन कर सकते हैं। टाइप-II के पात्र आवेदकों के आवंटन के पश्चात सशर्त आधार पर आवंटन किया जाएगा। पात्रतानुसार पे-लेवल निम्नानुसार है।

Type of Residence	Grade Pay	Pay level
Type - I	Rs. 1,300, Rs. 1,400, Rs. 1,600, Rs. 1,650 and Rs. 1,800	1
Type - II	Rs. 1,900, Rs. 2,000, Rs. 2,400 and Rs. 2,800	2 to 5
Type - III	Rs. 4,200, Rs. 4,600 and Rs. 4,800	6 to 8
Type - IV	Rs. 5,400 and Rs. 6,600	9 to 11
Type - IV (Special)	Rs. 6,600	11
Type - V	Rs. 7,600, Rs. 8,700 and 8,900	12 to 13 & above

सभी आवास आवंटन आवेदन निर्धारित फॉर्म (फॉर्म सं० 2) के अनुसार ही मान्य होंगे। यह फॉर्म इस कार्यालय से अथवा विभाग की वैबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। कृपया सभी फॉर्म उचित माध्यम से पूर्ण रूप से भरे हुए इस कार्यालय के सम्पदा अनुभाग को भेजे जाएं, अपूर्ण भरे गए आवंटन फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वह स्वतः निरस्त समझे जाएंगे। किसी एक टाइप के लिए अधिसूचित अवधि में एक बार ही आवेदन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार Contingent Service की half service को जोड़ने के पश्चात ही निर्धारित फॉर्म सं० 2 का कॉलम 11 (अ) भरा होना चाहिए।

इस अधिसूचना को समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष का होगा।



(कर्नल क्षितिज सुधीर वर्मा)

निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र

प्रतिलिपि:

- (1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
- (2) अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून।
- (3) निदेशक, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय।
- (4) निदेशक, उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ.प्र.भू.स्था.आं.केंद्र, देहरादून।
- (5) निदेशक, अंकीय मानचित्रण केंद्र।
- (6) निदेशक, ज्योडिय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून।
- (7) निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्था. आं. केंद्र, देहरादून।
- (8) स्थापना एवं लेखाधिकारी, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र।
- (9) वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून।
- (10) प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय नं० 2, हाथीबड़कला, देहरादून।
- (11) इंचार्ज, वैबसाइट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SGO) को इस आग्रह के साथ, कि इस सूचना को वैबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, देहरादून

फार्म सं० 2

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, संपदा टाइप-I, टाइप-II, टाइप-III, टाइप-IV, टाइप-V में निवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र।

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, हाथीबड़कला के संपदा अनुभाग में उपयोग के लिए क्रम सं०..... टाइप

पूर्विकता तारीख

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में)
2. पिता का नाम (केवल ग्रुप डी आवेदकों के लिए)
3. पे-बैंड (छठे वेतन आयोग के अनुसार)
(Pay-band as per 6th Pay Commission)
4. पद
5. जन्म तिथि
6. कार्यालय
7. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति का है ?
8. प्रथम नियुक्ति
9. स्थानांतरण होने की व कार्य ग्रहण करने की तारीख
(स्थानांतरण केस में कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट/गमनागमन आदेश की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।)
10. सेवा निवृत्ति की तारीख
11. (अ) वह तारीख जिससे कि आवेदक केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन सेवा में जिसमें कि विदेश सेवा, यदि कोई हो की तिथि भी सम्मिलित है, निरंतर रहा है उस टाइप के लिए उसकी पूर्तिकता तारीख होगी समूह 'घ' Group 'D' कर्मचारिवन्द की बाबत आकस्मिक खलासी के रूप में की गई निरंतर सेवा का 50 प्रतिशत पूर्विकता का अवधारण करने के लिए गणना में लिया जाएगा।

(ब) ऐसे पुनः नियोजित सैनिक के मामले में जिसने रक्षा सेवा सीमान्त प्रसुविधाओं की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में पुनः नियोजित पर अभ्यर्पित कर दिया है और जिसके सेवा में भंगों की यदि कोई सक्षम प्रधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है, उसकी पूर्विकता तारीख का अवधारण करने में गणना में लिया जाएगा। यदि किसी अधिकारी की सेवा में एक भंग से अधिक है तो ऊपर वर्णित प्रसुविधा अंतिम भंग से पूर्व की गई निरंतर सेवा के संबंध में ही अनुज्ञेय होगी।
12. निवास का टाइप जिसके लिए आवेदन किया है।
13. क्या आप जिस टाइप के निवास के लिए पात्र हैं उससे निचे के टाइप का आबंटन चाहते हैं? और यदि पहले से आबंटन है तो निवास सं० (टाइप सहित) लिखें।
14. आवेदन करने की तिथि को पे-बैंड अनुसार ग्रेड-पे
15. मूल वेतन 01.01.20.... को नए वेतनमान (Basic Pay as per 6th CPC) अनुसार (वह वेतन जो व्यक्तिगत वेतन विशेष वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि को छोड़कर मूल नियम 9(2) के (1) में परिभाषित है।)
16. यदि आवेदन पत्र टाइप-V से संबंधित है तो वह तारीख बताई जाए जिससे कि आवेदक लगातार रु० 7600, 8700, और 8900/-- ग्रेड पे ले रहा है। (मूल नियम 9) 2 (क) 1 (के अंतर्गत)

17. क्या अधिकारी, उसकी पत्नी/उसके पति और नाबालिग बच्चों के नाम स्थानीय अथवा लगी हुई नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित मकान है ? यदि हाँ है तो उक्त मकान का ब्यौरा :
* जो लागू न हो उसे काट दें।

हाँ/नहीं *

- (क) मकान सं० (ख) इलाका/सेक्टर
- (ग) जिसके नाम है (घ) मासिक किराए की आमदनी
- (च) ऊपर बताए गए मकान से होने वाली मासिक किराए की आमदनी का लिखित प्रमाण संलग्न है। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा गृह कर के निर्धारण से संबंधित दस्तावेज अथवा पट्टा करार प्रस्तुत करना उपेक्षित है।

18. (क) क्या आप स्थाई/स्थायित्व/अस्थाई हैं ?
(ख) यदि आप अस्थाई हैं तो आप संपदा शाखा से जमानत पत्र (Surety Bond) लेकर भरें।

घोषणा

- (1) मैं वचन देता हूँ कि मैं समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय सर्वेक्षण विभाग संपदा के सरकारी निवासों का आबंटन नियम 2010 का पालन करूँगा/ करूँगी।
- (2) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पास देहरादून में विभागीय/सामान्य निकाय आवास (General Pool Accommodation) नहीं है।
- (3) मुझे सरकारी आवास के लिए वारित (debarred) नहीं किया गया है।
- (4) मेरे, मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा मेरी नाबालिग संतान के नाम स्थानीय अथवा उससे लगी हुई नगरपालिका की सीमा के भीतर अपना मकान है। मुझे, मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा मेरी नाबालिग संतान को मकान किराए की आमदनी रु० प्रतिमाह है। जब कभी निजी मकान से प्राप्त किराये में वृद्धि होगी तो मैं आबंटन प्राधिकारी को सूचित करूँगा।
- (5) मुझे संपदा निदेशालय अथवा पुनर्वास विभाग द्वारा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा अथवा अन्य सरकारी/विभाग अन्य सरकारी संगठन अथवा स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अथवा कोई दूसरा मकान आबंटित नहीं है।
- (6) मैंने ऊपर जो सूचना दी है वह सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

कार्यालय

सं०

दिनांक

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, हाथीबड़कला को अगली कार्रवाई के लिए प्रेषित। आवेदक द्वारा दिए गए समस्त विवरण की कार्यालय अभिलेख से जाँच कर दी गई है और सही प्रमाणित किए जाते हैं।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर :

नाम (साफ अक्षरों में) :

पद :

कार्यालय :